भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5516
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

निजी उद्यमों को समर्थन

5516. श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए निजी उद्यमियों को आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा निजी उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित समर्थन का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 394 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 75 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं, 526 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं सहित 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।

पीएमएफएमई योजन के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रचालन में है । 28 फरवरी, 2025 तक देश में पीएमएफएमई के तहत सहायता के लिए कुल 1,27,758 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए प्रचालन में है। अब तक देश में 28 फरवरी, 2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत सहायता के लिए 133 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के 171 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

परियोजना निष्पादन एजेंसी (पीईए)/कार्यान्वयन एजेंसियां/संगठन जैसे कि सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संयुक्त उद्यम/एनजीओ/सहकारिताएं/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी)/निजी क्षेत्र की कंपनियां/साझेदारी फर्म/स्वामित्व वाली फर्म/व्यक्ति आदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य उत्पादों के निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 19 से 22 सितंबर 2024 के दौरान भारत मंडपम , नई दिल्ली में "वर्ल्ड फूड इंडिया" नामक एक मेगा इवेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को प्रदर्शित करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोगात्मक अवसर प्रदान करना था। यह कार्यक्रम वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, इनोवेटर्स, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाया और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ टाई-उप/व्यावसायिक अवसर प्रदान किए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

"निजी उद्यमों को समर्थन" के संबंध में 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5516 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपए होगी; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपए होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपए होगी; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% की दर से अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% अनुदान।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

<u>पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) प्रारम्भिक *पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *साझा अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****